

प्रेषक,

बी. एल. मीणा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-08 जनवरी, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2744/सा0-2/बारह-577(भाग-2)/2019-20, दिनांक-31.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विद्यमान निराश्रित/बेसहारा गोवंश की ज्वलन्त समस्या के दृष्टिगत अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर रखे गये गोवंशों के भरण-पोषण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 01-वेतन में सम्भावित बचतों से लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-27-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रु0-4750.00 लाख (रूपये सेंतालिस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नियमानुसार एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि के आहरण/व्यय में अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र० का होगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र० का होगा।
- (6) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। विचलन की दशा में इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र० का होगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में ३०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (10) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में ३०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (11) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-१/२०१९/बी-१-१७०/दस-२०१९-२३१/२०१९, दिनांक-२२.०३.२०१९ में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं०-बी-१-११९५/दस-१६/९४, दि-०६.०६.१९९४ द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० में अनुदान संख्या-१५ के अधीन लेखाशीर्षक-२४०३-पशुपालन-१०२-पशु तथा भैंस विकास-२७-छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.)-२०-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-१-यू.ओ.-०३/दस-२०२०, दिनांक-०८.०१.२०२० में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-९

भवदीय,

(बी. एल. मीणा)  
प्रमुख सचिव।

#### प०सं०-१/२०२०/५००५(१)/सैंतीस-२-२०१९- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-१/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-१/नियोजन अनु०-३ ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।